रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 1972/भाद्र 29, 1894

No. 213] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 1972/BHADRA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LI 14 NOV 197 16 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th September 1972

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of cotton yarn and mill-made cotton textiles including garments and made-ups for export to the U.K. for the period from* 1-1-1972 *to* 31-12-1972.

No. PN(U.K. LICENSING)/3 of 72.—Reference Public Notice No. PN(U.K. LICENSING)/1 of 1971 dated the 1st January, 1972 and subsequent Public Notice No. PN(U.K. LICENSING)/2 of 1972 dated the 24th March, 1972.

2. In modification of Para 7 of Public Notice No. PN(U.K. LICENSING)/1 of 1971, dated the 1st January 1972, it has been decided that a copy of the Export Certificate, without attestation either by the licensing or Customs authority, will be forwarded by the Textile Export Promotion Council to the Board of Trade in the U.K., who will issue a license on the basis of this certificate. A final copy, duly attested by the Customs and licensing authorities, will be forwarded later.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1972

विषय :—1-1-1972 से 31-12-72 तक की अवधि के लिए यू० के० को पोशाक तथा तैयार वस्त्रों सहित कपास धागे तथा मिल निर्मित सूती कपड़ों के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित योजना ।

संख्या पी० एन० (यू० के० लाइसैंसिंग) 3/72—1971 की सार्वजनिक सूचना संख्या, पीएन (यू० के० लाइसैंसिंग) / 1, दिनांक 1 जनवरी, 1972 तथा अनुवर्ती सार्वजनिक सूचना संख्या, पीएन (यू० के० लाइसैंसिंग) / 2, 1972, दिनांक 24 मार्च, 1972 के संदर्भ में ।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या, पीएन (यू० के० लाइसैंसिंग)/1, 1972, दिनांक 1 जनवरी, 1972 की कंडिका 7 का आशोधन करते हुए यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंस प्राधिकारी अथवा सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकन किए बिना ही निर्यात प्रमाण-पत्र की एक प्रति सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा यू० के० में व्यापार बोर्ड को प्रेषित की जाएगी, जो इस प्रमाण-पत्र के आधार पर लाइसेंस जारी करेगा । सीमा-शुल्क तथा लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित अन्तिम प्रति बाद में प्रेषित की जाएगी ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972